# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 102/25

GCMS NO 2025/

1. प्रसाद पुत्र लडडू
2. रामजीलाल पुत्र लडडू
3. गोपाल पुत्र लडडू
4. रामफूल पुत्र लक्षया
5. रामलाल पुत्र लक्षया
6. मथुरी पत्नि लक्षया समस्त जातियान कोली निवासी बडौद तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

गोपाल सिह पुत्र रघुनाथ जाति राजपूत निवासी बडौद तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 55/23 निर्णय दिनांक 16.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 कोई उपस्थित नही

दिनांक 17.11.2025

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्व निर्णय दिनांक 16.7.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की भूमि खसरा न0 520/3 रकबा 5 बीघा 7 विस्वा, 663/1 रकबा 1 बीघा बारानी 3 कुल रकबा 6.17 बीघा वाके ग्राम बडौद तहसील खण्डार मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी पूर्वजो के समय से ही काबिज चला आ रहा है। अप्रार्थी के खेत ख0न0 520/4 मे से दोनो भाईयो के खेत के बीच मे से रास्ता दिया था जिसमे से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 520/3 मे कई समय से आता जाता रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ते का प्रयोग करना चाहा तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट के बाद प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग बंद कर दिया गया। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। पूर्व मे अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपने खेत ख0न0 520/3 पर मकान बना लिया है। अब प्रार्थी के पास अपने मकान व खेत पर पहुॅच के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। इस कारण प्रार्थी को ग्राम पीपलदा रोड से मेड के किनारे ख0न0 520/3 व 663/1 मे जाने हेतु 30 फीट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है नही तो प्रार्थी को अपने खेत व मकान पर आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न होगी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

इसलिए प्रार्थी को 30 फीट का रास्ता दिलाया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 द्वारा सम्मन लेने से इंकार करने के कारण बहस अपीलांट अधिवक्ता की अपील पर एक पक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। रेस्पो0 ने तहसीलदार खण्डार को पक्षकार बनाये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। क्योकि तहसीलदार विवादित भूमि का लैण्ड होल्डर होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे पूर्व से बने हुए रास्ते पर गौर नही करके नवीन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने मे अहम भूल की है अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 विवादित भूमि मे सहखातेदार होते हुए भी सहखातेदारो को भी जानबूझकर पक्षकार नही बनाया मौके पर पूर्व से रास्ता होना पटवारी हल्का बडौद ने तहरीर किया है। इस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो0 के खेत पर जाने पर सबसे निकटतम रास्ता मौके पर मौजूद होते हुए भी नवीन रास्ता देने का कोई औचित्य भी नही है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोपर,इल्लीगल व इनकरेक्ट होने से निरस्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपीलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी ख0न0 ख0न0 520/3 व 663/1 पर आवागमन हेतु रास्ता अपीलांट/अप्रार्थी के खेत खसरा न0 520/4 पर से पूर्व से रास्ता आवागमन का होने एवं अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा रास्ते का उपयोग प्रार्थी/रेस्पो0 को नही करने के कारण 30 फीट का रास्ता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है ख0न0 519 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। खसरा न0 520/3 राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारो के नाम दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा अन्य सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है ना ही भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार को पक्षकार बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है। जो नॉन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

जोइन्डर आफ पार्टीज के नुक्स से प्रभावित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण निर्णय की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को तहसीलदार भूमिधारी लैण्ड होल्डर को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार के प्रकरण संख्या 55/23 मे पारित निर्णय दिनांक 16.7.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे तहसीलदार भूमिधारी लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.12.2025 को उपस्थिति होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान) सत्यमेव जयते